झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची–834001

नगर विकास एवं आवास विभागान्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक / यांत्रिक) सीधी भर्त्ती प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या–08 / 2018) एवं सहायक अभियंता (विद्युत) सीधी भर्त्ती प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या–08 / 2019) में औपबंधिक रूप से साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार संबंधी आवश्यक सूचना एवं अनुदेश।

1. नगर विकास एवं आवास विभागान्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक / यांत्रिक) सीधी भर्त्ती प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या–08 / 2018) एवं सहायक अभियंता (विद्युत) सीधी भर्त्ती प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या–08 / 2019) में सफल उम्मीदवारों का परीक्षाफल प्रकाशित किया जा चुका है।

2. औपबंधिक रूप से सफल उम्मीदवारों का अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार आयोग कार्यालय में निम्नवत् निर्धारित है :–

पद	अभिलेख सत्यापन की तिथि	साक्षात्कार की तिथि
सहायक अभियंता (असैनिक)	12.06.2023, 13.06.2023	13.06.2023, 14.06.2023
सहायक अभियंता (यांत्रिक)	14.06.2023	15.06.2023
सहायक अभियंता (विद्युत)	15.06.2023	16.06.2023

3. अभिलेख सत्यापन की तिथि को शैक्षणिक योग्यता एवं आरक्षण का दावा करने संबंधी सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित अभिलेख अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

4. सभी उम्मीदवारों के अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र **दिनांक–08.06.2023** से आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध रहेंगे, जिसे उम्मीदवार अपना **अनुक्रमांक एवं जन्म तिथि** डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। **अभिलेख सत्यापन / साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जायेगा।**

5. अभिलेख सत्यापन के दिन उम्मीदवारों को विज्ञापन के आलोक में ऑनलाईन आवेदन में उल्लेखित अपनी शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण एवं अन्य दावों से संबंधित निम्नांकित मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सभी की दो स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति भी साथ में लाना अनिवार्य होगा :–

(i) परीक्षा शुल्क प्राप्ति रसीद की मुद्रित प्रति।

(ii) जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक / 10वीं उत्तीर्णता प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।

(iii) तकनीकी डिग्री (B.Tech/B.E.) से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।

(iv) प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में (झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II कोटि के अभ्यर्थियों हेतु)।

नोटः– अत्यंत पिछड़ा वर्ग–I एवं पिछड़ा वर्ग–II के अभ्यर्थियों को Non-Creamy layer सहित जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(v) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र (निःशक्त अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट तथा निःशक्तता दावा हेतु)

(vi) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (उम्र सीमा में छूट हेतु)।

(vii) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत खेलकूद प्रमाण पत्र (खेलकूद कोटा में दावे के समर्थन में)।

(viii) स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र।

नोटः– आरक्षण (उदग्र / क्षैतिज) (Vertical/Horizontal) का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को देय है जो झारखण्ड के स्थायी निवासी हैं।

कृ0पृ0उ0

यदि कोई उम्मीदवार अभिलेख सत्यापन के दिन उपरोक्त वर्णित वांछित मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उम्मीदवारों की अर्हत्ता के संबंध में आयोग समुचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

6. अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। साक्षात्कार में शामिल होने मात्र से उनकी अर्हत्ता सम्पुष्ट नहीं होता है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अर्हत्ता पर यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

7. सभी उम्मीदवार अपने साक्षात्कार के दिन साक्षात्कार पत्र के अलावे अपना एक अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र, यथा–मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि में से कोई एक मूल रूप में अपने साथ लाना सुनिश्चित करेंगे।

8. संबंधित उम्मीदवार, साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि को समय से 1 घण्टा पूर्व आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे।

9. साक्षात्कार हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को मोबाईल फोन या किसी प्रकार का इलेक्ट्रोनिक गैजेट यथा ब्लू–टूथ, Wifi, इलेक्ट्रोनिक पेन इत्यादि आयोग परिसर में लाना वर्जित है।

ह0/–
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।